



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना-रानी की सराय, जनपद-आजमगढ़

50 हजार रूपये का इनामिया हिस्ट्रीशीटर शातिर गोतस्कर पुलिस मुठभेड़ मे घायल/गिरफ्तार ।

01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा मिस कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण:-

दिनांक 24.02.2026 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह मय हमराह व उ0नि0 हैदर अली मंसूरी मय हमराह चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की तलाश एवं वांछित अभियुक्त/वारण्टी की तलाश में ऊंची गोदाम में मौजूद थे, कि थाने कि द्वितीय मोबाईल से उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह आ गये कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि शातिर पशु तस्कर मोटर साइकिल से सोनवारा से बड़ैला ताल की ओर जा रहे है, जिनके पास अवैध हथियार भी है। इस सुचना पर मौजूद समस्त पुलिस बल छैला इनार तिराहे पर पहुंच कर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन की चेकिंग करने लगे कि 01 मोटरसाइकिल से 03 व्यक्ति सोनवारा की तरफ से आते दिखाई दिये। मोटरसाइकिल सवार अपराधी करीब पहुंचे ही थे कि पुलिस बल को देखकर अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर तेजी से बड़ैला ताल जाने वाले मार्ग की ओर भागने का प्रयास किये परन्तु असंतुलित होकर गिर गये और खुद को पुलिस बल से धिरता देखकर पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी, जिसमे 01 बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी तथा 02 बदमाश अंधेरे मे सरसो की फसल का फायदा उठाकर भाग गये । घायल बदमाश की पहचान नसीम पुत्र दिलशेर निवासी ग्राम कोटीला थाना रानी की सराय उम्र करीब 40 वर्ष के रूप मे हुई, जिसे आज दिनांक 25.02.2026 को समय करीब 02.30 बजे हिरासत में लेकर उपचार हेतु CHC रानी की सराय भेजा गया है । मौके से 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा मिस कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुआ । मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में ई-चालान के माध्यम से सीज किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1- मु0अ0सं0-44/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस व 2- मु0अ0सं0- 45/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

पुछताछ का विवरण- घायल अपराधी नसीम उर्फ लम्बू ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ आजमगढ़ व आस पास के जिलो में चोरी व पशुतस्करी तस्करी जैसी कई घटनाएं कारित कर चुका है । आज पुनः इस रास्ते पर चोरी व पशु तस्करी के इरादे से घूम रहे थे कि पुलिस बल को देखकर घबरा गया और फायर कर भागने की फिराक में था ।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.नसीम पुत्र दिलशेर निवासी ग्राम कोटीला थाना रानी की सराय उम्र करीब 40 वर्ष ।

फरार अभियुक्त-

1-वसीम पुत्र दिलशेर निवासी ग्राम कोटीला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।

2-भुटेली उर्फ करिया पुत्र इल्ताफ निवासी ग्राम कोटीला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु0अ0सं0- 44/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद-आजमगढ़ ।
- 2- मु0अ0सं0- 45/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद-आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

नसीम पुत्र दिलशेर निवासी ग्राम कोटीला थाना रानी की सराय उम्र करीब 40 वर्ष

01. मु0अ0स0 211/2015 धारा 41/411 भादवि थाना अहरोला जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0स0 89/2018 धारा 379/411 भादवि थाना बरदह
03. मु0अ0स0 23/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 11पशु क्रूर0 व 429 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
04. मु0अ0स0 74/2020 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर थाना बिलरियागंज
05. मु0अ0स0 34/2021 धारा 307/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
06. मु0अ0स0 35/2021 धारा 3/5ए/8गोवध नि0 अधि0 थाना जहानागंज
07. मु0अ0स0 389/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज
08. मु0अ0स0 372/2023 धारा 307/34 भादवि थाना जहानागंज
09. मु0अ0स0 19/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस थाना जहानागंज
10. मु0अ0स 594/2025 धारा 111/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2)बी0एन0एस0 थाना कोतवाली
11. मु0अ0स0 286/2023 धारा 4/25आर्म्स एक्ट व 120बी/396/412 भादवि थाना निजामाबाद
12. मु0अ0स0 562/2023 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्ट एक्ट थाना निजामाबाद
13. मु0अ0स0 79/2016 धारा 147/504/506 भादवि SC ST Act थाना रानी की सराय
14. मु0अ0स0 188/2017 धारा 147/323/336/427/504/506 भादवि व 7 Cla Act
15. मु0अ0स0 14/2021 धारा 379 भादवि थाना रानी की सराय
16. मु0अ0स0 140/2021 धारा 379/511 भादवि थाना रानी की सराय

बरामदगी:- 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा मिस कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 01.थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 02.उ0नि0 हैदर अली मंसूरी थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 03.का0 कृष्ण कुमार यादव, थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 04.का0 सुनील कुमार थाना रानी की सराय आजमगढ़
05. उ0नि0 सूरज तिवारी थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 06.हे0का0 दुर्गेश पाल थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 07.का0 अरविन्द यादव थाना रानी की सराय आजमगढ़